

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 14/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 अनुच्छेद के (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै ग्लोबल इंपेक्ष ट्रेडिंग, अपने प्रोपराइटर एम सराफ़थ आली के जरिये, 36/3, हाजी जुम्मा कम्पाउण्ड, सेवरी क्रॉस रोड, सेवरी (W), मुंबई-400015 और 4 अन्य.	फा. सं. <u>DRI/MZU/ E/Int-</u> <u>141/2018</u> DRI/MZU/E/Enq- 134/2018 दिनांक 27.02.2019.	आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाउस, बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई. आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), जामनगर, सर्दा हाउस, बेदी बंदर रोड, जामनगर.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
2.	मै सीपला लिं., सीपला हाउस, पेनीनसुला बिज़नस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013.	फा. सं. <u>DRI/KZU/</u> <u>CF/Enq-86 (Int-30)/ 2017</u> दिनांक 06.03.2019.	प्रधान आयुक्त /आयुक्त सीमाशुल्क, मुँदरा पीयूबी बिल्डिंग, अदानी पोर्ट, मुँदरा, कच्छ. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (न्हवा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II) (पोर्ट-इम्पोर्ट), कस्टम हाउस, चेन्नई.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

			<p>प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी (E), मुंबई.</p>	
			<p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-VII) (एयर कार्गो), जीएसटी रोड, न्यू कस्टम हाउस, मीनाम्बक्कम, चेन्नई.</p>	
3.	<p>मै सुमन मेटल, शॉप सं. 4, भू तल, 202/204, एस. वी. रोड, 3रा कुंबरवादा, मुंबई-400004 और 4 अन्य.</p>	<p>फा. सं. DRI/MZU/F/ Int-05(3)/2016 दिनांक 05.11.2018, दिनांक 15.03.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.</p>	<p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हवा शेवा-III), मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़</p>	<p>अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई (तालिका के क्रम सं 3 और 4 के लिए).</p>
4.	<p>मै रतनवीर स्टैनलेस प्रोडक्टस प्रा. लिमि., E-77, जीआईडीसी सलवी, मंजूसर, बरोदा, गुजरात और 4 अन्य.</p>	<p>फा. सं. DRI/MZU/F/ Int-05(10)/2016 दिनांक 27.10.2018, दिनांक 15.03.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.</p>	<p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद.</p>	

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-10/2019-CI]

(सुचेता श्रीजेश)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-कोलकाता और मुंबई को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें